

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 171/25

तारीख दागर 18/7/25

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियो

विषय :- प्रकरण संख्या 171/25

पत्थरगढी बाबत।

भंवर लाल भील पिता रूपचंद जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी  
आंट तहसील बिजौलियो जिला भीलवाड़ा राज. हाल मुकाम  
किशोरपुरा तहसील बिजौलियो जिला भीलवाड़ा राज.

.....प्रार्थी

4. महावीर पिता भंवर लाल उम्र वयस्क जाति भील निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियो जिला भीलवाड़ा राज.
5. शम्भु पिता भंवर लाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियो जिला भीलवाड़ा राज.
6. प्यारी पत्नि स्व.पेमा उम्र वयस्क जाति भील निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियो जिला भीलवाड़ा राज.

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा गाम धनवाड़ा पटवार हल्का माला का खेडा भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियो जिला भीलवाड़ा राज. स्थित खाता संख्या 399 पर स्थित आराजी संख्या 1130 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ,आराजी संख्या 1131 रकबा 1.6673 हैक्टेयर आराजी संख्या 1132 रकबा 1.0926 आराजी संख्या 1282/1131 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भुमि कुल किता 4 रकबा 3.4479 हैक्टेयर भुमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावे। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जाारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वि.प्र.अ.रा.रा. को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस अनुप्राप्त कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 171/25

तारीख दायर 18/7/25

भंवर लाल भील पिता रूपचंद जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी  
आंट तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज. हाल मुकाम  
किशोरपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज.

.....प्रार्थी

1. महावीर पिता भंवर लाल उम्र वयस्क जाति भील निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज.
2. शम्भु पिता भंवर लाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज.
3. प्यारी पत्नि स्व.पेमा उम्र वयस्क जाति भील निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज.

.....विपक्षी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक :- 11/8/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी भंवरलाल ने जरिये अभिभाषक श्री सुनिल कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माला का खेडा भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज. स्थित खाता संख्या 399 पर स्थित आराजी संख्या 1130 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ,आराजी संख्या 1131 रकबा 1.6673 हैक्टेयर आराजी संख्या 1132 रकबा 1.0926 आराजी संख्या 1282/1131 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भुमि कुल किता 4 रकबा 3.4479 हैक्टेयर भुमि , स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माला का खेडा भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज. स्थित खाता संख्या 399 पर स्थित आराजी संख्या 1130 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ,आराजी संख्या 1131 रकबा 1.6673 हैक्टेयर आराजी संख्या 1132 रकबा 1.0926 आराजी संख्या 1282/1131 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भुमि कुल किता 4 रकबा 3.4479 हैक्टेयर भुमि की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों